बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– /पटना, दिनांक–

पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या– प्र06/नियम–03–04/2002–5737 (S) /पटना, दिनांक 07.05.2007 द्वारा सभी कार्य विभागों के लिए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 लागू है। जिसका अनुपालन सभी कार्य विभागों द्वारा किया जाता है। इस नियमावली के कंडिका 11 (क) में वर्णित कदाचारों हेतु निबंधित ठीकेदारों का नाम काली सूची में डालने/निश्चित अवधि के लिए निलंबित करने अथवा अपने श्रेणी के नीचे के श्रेणी में पदानवत करने का प्रावधान है, परन्तु नियमावली में उपबंधित कदाचारों में मापदंड का उल्लेख नहीं रहने से तदनुसार दंड निर्धारण में एकरूपता रखने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार योजनाओं के कार्यान्वयन/निविदा निस्तार के दौरान Non-Performance, inordinate delay in completion of work, litigation history, टेन्डर प्राप्त करने हेतु False or fake qualification papers संलग्न किये जाने इत्यादि की घटनायें होती हैं, परन्तु इनके लिए दंड की अवधि एवं स्वरूप का निर्धारण नहीं है।

उक्त स्थिति में निदेशानुसार सम्यक् विचारोपरान्त पथ निर्माण विभाग के आदेश संख्या 154 दिनांक 18.06.2015 में प्रावधानित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में अंकित कदाचार के लिए कालीकरण के निर्धारित अवधि के अनुरूप जल संसाधन विभाग में निबंधित/अनिबंधित ठीकेदारों के लिए दंड की अवधि का निम्नवत निर्धारण किया जाता है:–

क्रमांक	कदाचार	कालीकरण/निलंबन की अवधि
1	एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।	
	(a) कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
	(b) किये गये कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक रहने एवं कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर।	पन्द्रह वर्षों के लिए कालीकृत
	(c) एकरारनामा के एक से अधिक शर्त्तों का उल्लंघन तथा इस संबंध में सूचना एवं चेतावनी देने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
	(d) संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अंतरिम अथवा चालू विपत्र में fraud पाये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
	(e) Defect Liability Period (DLP) में निर्धारित सुधारात्मक कार्यों को नहीं किये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
	(f) योजना को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु आवश्यक मशीनरी एवं टेकनीकल पर्सनल की व्यवस्था नहीं किया जाना एवं लिखित स्मार के बावजूद वॉछित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं किया जाना।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
	(g) योजना कार्य में inordinate delay in completion of work के लिए	दस वर्षों के लिए कालीकृत

	(h) litigation history के लिए	दस वर्षों के लिए कालीकृत
2	संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
3	ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
4	ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त किये जाने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिपूर्ति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर ।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
5	एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना ।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
6	किसी अपराधिक गतिविधि में सजायफ्ता होने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत अथवा न्यायालय द्वारा संसूचित सजा की अवधि तक (जो अधिक हो)
7	ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)	पाँच वर्षों के लिए कालीकृत
8	एक से अधिक उक्त उपबंधित कदाचारों अथवा ठीकेदारी नियमावली 2007 में अंकित अन्य कदाचारों में संलिप्त पाये जाने पर।	पन्द्रह वर्षों के लिए कालीकृत

16/12/15

(बिपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 909 /पटना, दिनांक– 17/12/2015

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काड़ा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/15

(बिपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 909 /पटना, दिनांक– 17/12/15

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

16/12/15

(बिपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)